प्रेस विज्ञप्ति

21.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002के तहत मेसर्स आईआरईओ समूह की कंपनियों और अन्य से संबंधित 58.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्की की है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि पार्सल और बैंक खाते शामिल हैं।

ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स आईआरईओ प्रा. लिमिटेड, संबद्ध संस्थाएं, इसके निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना और दिल्ली आदि के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि उन्होंने निर्दोष खरीदारों को फ्लैट/प्लॉट/वाणिज्यिक स्थान आदि देने का वादा करके धोखा दिया, हालांकि, उन्होंने न तो परियोजनाएं वितरित कीं और न ही खरीदारों के पैसे वापस किए।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि कंपनी के निदेशकों ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को निकाल लिया और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया। बल्कि, उन्होंने शेयरों की पुनर्खरीद, मोचन, एफसीडी आदि के रूप में और संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम देकर, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहन और अग्रिम देकर ऐसा पैसा भारत के बाहर भेजा। खरीदारों के पैसे अन्य कंपनियों में भी लगाया गए हैं, जिसकी पहचान जांच के दौरान हुई थी। मामले में पहचाने गए अपराध के आगम कुल 1780 करोड़ रुपये हैं।

इससे पहले, धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, ललित गोयल (आईआरईओ ग्रुप) और रूप बंसल (एम3एम ग्रुप) को क्रमशः 16.11.2021 और 08.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था। 22.11.2021 और 01.06.2023 को विभिन्न जुड़े परिसरों में भी तलाशी ली गई। मामले में, अभियोजन शिकायत दिनांक 14.01.2022 और पूरक अभियोजन शिकायत दिनांक 04.08.2023 एलडी विशेष न्यायालय, पंचकुला के समक्ष दायर की गई है। 1317.3 करोड़ रुपये की संपत्ति पीएओ दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से पहले ही अनंतिम रूप से कुर्क की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।